63

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. / निग - 2104 - I - 16

श्री राम सेवक शर्मा एड.
द्वारा आज दि. 30-6-16 को
प्रस्तुत
30-6-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राम सेवक शर्मा अभिभाषक
30-6-16

शिवकुमार द्विवेदी पुत्र श्री परसादी द्विवेदी
उम्र 60 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम
खाडेई तहसील गौरिहार (उप तहसील)
जिला छतरपुर म.प्र. --- आवेदक

विरुद्ध

रामस्वरूप पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहमण
निवासी ग्राम खाडेई तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर म.प्र. -- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधि. 2011 द्वारा पारित राजस्व निरीक्षक मण्डल सनेही, रा.प्र.क्र. 38/अ12/15-16 तहसील गौरिहार व आदेश दिनांक 13.6.16 तहसीलदार गौरिहार के आदेश की प्रति से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, सर्वे नम्बर 351/1 खा, 351/4, 351/5 स्थित ग्राम खाडेई तहसील गौरिहार से सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल सनेही तहसील गौरिहार के समक्ष आवेदन पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें प्रकरण में वर्णित नम्बर पर सीमांकन ना किया जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय में रिपोर्ट व पंचनामा तैयार कर सीमांकन की पुष्टि कर दी जिसमें मैं सर्वे नम्बर 351/2 351/3 ...

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2104–एक/16 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.12.17	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल सनेही तहसील गोरिहार के रा0प्र0क0 38/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 13–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 351/1ख, 351/4 एवं 351/5 के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया । उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए पटवारी ने सीमांकन प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया । राजस्व निरीक्षक ने आलोच्य आदेश द्वारा सीमांकन प्रमाणित किया है । इस आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक सर्वे नं. 351/2 एवं 351/3 का हिस्सेदार होकर भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है । उक्त सीमांकन के बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी गई जबकि नक्शा सीमांकन कार्यवाही के पूर्व सभी सरहदी काश्तकारों को सूचना दी जाना चाहिए थी उसके पश्चात सभी भूमिस्वामियों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की जाना चाहिए थी लेकिन इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है इस कारण से राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । 3– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत हुई है । आवेदक सीमांकन के समय उपस्थित था परंतु उसके द्वारा सीमांकन कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया और ना ही पंचनामे पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्यवाही है वह अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है । अभिलेख में जो सूचनापत्र संलग्न है उसमें आवेदक का नाम अवश्य है परंतु उसे सूचना दी गई है यह प्रमाणित नहीं है क्योंकि नाम के सामने उसके हस्ताक्षर नहीं है । इसके अतिरिक्त 2 सरहदी काश्तकारों के भी सूचनापत्र पर हस्ताक्षर नहीं है । प्रतिवेदन के साथ जो पंचनामा संलग्न है उसमें भी उनके उपस्थित रहने या हस्ताक्षर न करने आदि का कोई उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में सीमांकन की जो कार्यवाही है वह विधिसम्मत नहीं है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन से सहमति बताते हुए सीमांकन को प्रमाणित करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । अतः उनके आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती । परिणामतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–6–16 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही विधिवत करें । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस किए जायें । प्रशा0 सदस्य	